फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

सरकार बनाम प्रवीण कुमार

मुकदमा संख्या /वर्ष : 6 /2018

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	4.9.20	पत्रावली आज प्रार्थी के शीघ्र सुनवाई के प्रा.पत्र पर तलब की गयी, वकील प्रार्थी उप. है व अप्रार्थीगण की तरफ से जवाब प्रा.पत्र व जवाब सरकार पेश हुआ जो शामिल किया गया। जवाब प्रा.पत्र के जवाब सरकार व जवाब प्रा.पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 17, 19, 20, 21, 23 से 37, 56, 59, 60, 61 से 65 किता 27 रकबा 7.96 है. भूमि का मौके पर भूमि उपयोग हो रहा है व रिपोर्ट पटवारी व जवाब अप्रार्थी अनुसार उक्त भूमि मौके पर खाली है, किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है मौके पर घास उगी हुयी है व मौके पर भूमि कृषि योग्य है किसी प्रकार से कृषि उपयोग नहीं हो रहा और न ही व्यापारिक का व्यावसाय किया जा रहा है। प्रार्थी ने कथन किया कि स्थगन की आड़ में भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहे हैं अतः [illegible] माना जावे	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		व जवाब सामार व जवाब प्रार्थी का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि का जवाब सामार अनुसार कृषि से अकृषि उपयोग में नहीं ली जा रही है मौके पर खाली पड़ी हुई व वादग्रस्त भूमि में घास उगी हुई होने से जवाब सामार अनुसार वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की प्लोटिंग नहीं हो रही है एवम अप्रार्थीगण स्थगन की आड में अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहे है, इस प्रकार जवाब सामार व जवाब अप्रार्थीगण के अनुसार प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से स्थगन आदेश खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 39 2 के तहत का खारिज किया जाता है प्रा. पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 11-1-18 का प्रभाव हीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील नक्ल में मय होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	